न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 109/2017
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2017/00146

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये सवाई सिंह प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. सीताराम नेहरा पुत्र बोदूराम नेहरा जाति जाट निवासी प्रेमपुरा पुलिस थाना रेनवाल जिला जयपुर (होटल मालिक) 2. जितेन्द्रसिंह राजावत पुत्र जयसिंह राजावत डी–351 सिद्धार्थ नगर गैटोर रोड़ जयपुर (वाहन मालिका आर.सी. अनुसार)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवण बेनीवाल ।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।

निर्णय **दिनांक–** 20/9/21

1. मामले का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अन्र्तगत अप्रार्थी की होटल पर जॉच के दौरान सीज किये गये डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीमे व 2 प्लास्टिक के पाईप एवं महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड नं. आर.जे. 14 जी.एफ. 3175 को सम्पहरित (Confiscate) कर राज सात करने के आदेश बाबत दिनांक 08.09.2017 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 08.02.2018 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 ने बावजूद सूचना के प्रकरण की न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 08.02.2018 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–2 जितेन्द्र सिंह राजावत को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया, डाक डिलिवर होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 2–जितेन्द्रसिंह न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ और हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।
3. प्रार्थी ने प्रकरण में जब्तशुदा 70 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल का अन्तरिम निस्तारण का निवेदन किये जाने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2017 से जिला रसद अधिकारी नागौर को 70 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल का नियमानुसार कीमतन विक्रय कर निस्तारण कर प्राप्त रकम को अन्तरिम रूप से राजकोष में अमानत के तौर पर जमा कराने के निर्देश दिये गये।
4. जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड नं. आर.जे. 14 जी.एफ. 3175 को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर छोड़ने के संबंध में धारा ... का आवेदन वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक ...5.10...17 से जिला रसद अधिकारी नागौर को उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानत पर छोड़ने के ... दिये गये।
5. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 1 श्री सीताराम नेहरा की ओर से वकील अप्रार्थी की बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:17 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

6. प्रवर्तन अधिकारी ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि वक्त जांच मौके पर अवैध रूप से डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीपे व 2 प्लास्टिक के पाईप एवं महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड नं. आर. जे. 14 जी.एफ. 3175 रखकर अवैध उक्त कैम्पर से डीजल/पेट्रोल का अवैध कारोबार किया जाना पाया से इन्हे सीज किया गया है, जो मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ मेल प्रेक्टिसेज) आर्डर 1990 के क्लॉज 3 की अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए उक्त जब्त शुदा डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीपे व 2 प्लास्टिक के पाईप एवं महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड नं. आर.जे. 14 जी.एफ. 3175 को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

7. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 अपने होटल संचालन के साथ कृषि कार्य हेतु अपने वाहनों, कृषि कार्य हेतु जनरेटर व काम करने वाले मजदूरों को दिये गये वाहनों में ईंधन भरने के एक मुश्त ईंधन डीजल व पेट्रोल रख सकता है, जिसको परिवादी ने गलत रूप से प्रदर्शित कर मिथ्या परिवाद पेश किया है। परिवादी ने अप्रार्थी की उपस्थिति में कभी कोई मौका निरीक्षण नहीं किया था, अप्रार्थी से व्यवसायिक प्रतिस्पर्द्धा रखने वाले लोगों ने मिलावट करके अप्रार्थी को नाजायज क्षति पहुंचाने के लिए झूठी फर्दे तैयार करवा कर उक्त परिवादी पेश करवाया है। उक्त कथित पेट्रोल व डिजल अप्रार्थी के खरीदसुदा है, जिनके बिल अप्रार्थी द्वारा वाहन सुपुर्दगी पर लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ पेश किये हुए है। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनने का कथन करते हुए परिवाद खारिज करने का निवेदन किया है।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.06.2017 को प्रार्थी द्वारा मौके पर जांच कार्यवाही में अवैध रूप से डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीपे व 2 प्लास्टिक के पाईप एवं महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड नं. आर.जे. 14 जी.एफ. 3175 रखकर अवैध उक्त कैम्पर से डीजल/पेट्रोल का अवैध कारोबार किये जाने हेतु पाये गये। उक्त जब्तशुदा डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीमे व 2 प्लास्टिक के पाईप को जरिये सुपुर्दगीनामा दिनांक 24.06.2017 के अनुसार रूबरू मौतबिरान श्री नन्दाराम पुत्र श्री हनुमानराम जाति जाट निवासी सोलाया तहसील नांवा को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया, जिस पर गवाह भागूराम व भंवरलाल के भी हस्ताक्षर है एवं प्रकरण में जब्तशुदा महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड नं. आर.जे. 14 जी.एफ. 3175 को पुलिस थाना नांवा के कांस्टेबल श्री कालुराम बेल्ट नम्बर 544 को रूबरू मौतबिरान जरिये सपुर्दगीनामा दिनांक 24.06.2017 अनुसार सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये है। वकील अप्रार्थी का कथन कि अप्रार्थी संख्या–1 सीताराम अपने होटल संचालन के साथ कृषि कार्य हेतु अपने वाहनों, कृषि कार्य हेतु जनरेटर व काम करने वाले मजदूरों को दिये गये वाहनों में ईंधन भरने के एक मुश्त [illegible] है, परन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि होटल व्यव[illegible] एवं डीजल का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाता है, तथा [illegible] होटल व कृषि कार्य हेतु कौन कौन से व कितने [illegible] के सबंध में कोई ठोस दस्तावेजी [illegible] प्रस्तुत नहीं की है। [illegible] की होटल व कृषि कार्य हेतु जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है, परन्तु अप्रार्थी के पा[illegible] जनरेटर होने के सबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:17 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत नहीं की है। वकील अप्रार्थी संख्या–1 का कथन कि उक्त कथित पेट्रोल व डिजल अप्रार्थी के खरीदसुदा है जिनके बिल अप्रार्थी के पास थे जिनको पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष वाहन सुपुर्दगी पर लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ पेश किये हुए है, उक्त संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया, परन्तु ऐसे कोई बिल वकील अप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये है, वकील अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा दिनांक 05.10.2017 को प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची में ऐसे किसी भी बिल का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार वकील अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा किये गये बचाव में किये गये कथन विश्वनीय प्रतीत नहीं होते है। जबकि प्रार्थी द्वारा मौके पर फर्द मौका जप्ती रिपोर्ट दिनांक 24.06.2017 रूबरू मौतबिरान अप्रार्थी के समक्ष तैयार की गयी है जिस पर मौतबिर गवाह के हस्ताक्षर है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही युक्तियुक्त है, जिस पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्त शुदा डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीमे व 2 प्लास्टिक के पाईप व महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड नं. आर.जे. 14 जी.एफ. 3175 को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड का अवैध कारोबार करने की नियत से प्रवहन किये जाने से, उक्त राजसात डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीमे व 2 प्लास्टिक के पाईप की कीमत के बराबर जुर्माना राशि वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या–1 सीताराम नेहरा पुत्र बोदूराम नेहरा जाति जाट निवासी प्रेमपुरा पुलिस थाना रेनवाल जिला जयपुर द्वारा संदाय किये जाने पर विकल्प में छोड़े जाने के आदेश दिये जाते है तथा इस आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या–1 सीताराम इस आदेश के जारी होने से एक माह की कालावधि में असफल रहने की दशा में जब्तशुदा वाहन को खुली नीलामी विक्रय द्वारा नियमानुसार जुर्माना वसूली हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर को अधिकृत किया जाता है। उक्त वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या–1 श्री सीताराम नेहरा द्वारा जुर्माना राशि निर्धारित समयावधि में जमा करवाये जाने पर उक्त वाहन को मुक्त कर दिये जाने का आदेश दिया जाता है। जब्त शुदा डीजल 70 लीटर मय 1 लौहे का ड्रम, 35 लीटर पेट्रोल मय दो प्लास्टिक के ड्रम, 2 लौहे के 210 लीटर भराव क्षमता के खाली ड्रम, 5 छोटे बड़े प्लास्टिक के खाली ड्रम, तेल निकालने के दो एल्यूमिनियम के कीमे व 2 प्लास्टिक के पाईप नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि राजकीय घोषित की जाती है तथा पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
कलक्टर, नागौर
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:17 IST
Reason: SelfAttested